

अनुसूची १४—फारम सं०—५६२

आदेश—पत्रक

(ऐसे अभिलेख हरतक, १९४९ का नियम १२६)

आदेश पत्रक — ता०..... से तक
जिला सं० सन् १६

केत का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या
कीस तारीख
१

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

२

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे
टिप्पणी, तारीख—सहित
३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या ६४/२०१२

मो० नुरुलआवदीन — अपीलार्थी
वनाम

पिंकी कुमारी एवं अन्य — प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत अपील वाद मो० नुरुलआवदीन पिता — स्व०
अमीर हसन ग्राम —सिमरी बखित्यारपुर, थाना— बखित्यारपुर जिला—
सहरसा द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमरीबखित्यारपुर के आदेश
दिनांक 23.01.12 अन्दर वाद संख्या ८१/११ के विरुद्ध दाखिल किया
गया है।

निम्न न्यायालय में दिनांक 23.06.2011 को दायर वाद
में वादी का कथन है कि वर्ष 1928 में वादी के नानी ने दो केबाला से
जमीन खरीदी जो सिङ्गुल में वर्णित है। सिङ्गुल 'क' में वादी के नानी को
मसोमात सुरति ने जो विकी किया है वह है सिङ्गुल 'ख'" वादी के नानी
ने मोहन साह से जमीन 7 कट्ठा 10 धुरकी खरीदी जो विवाद का
विषयवस्तु नहीं है। वादी के दखल कब्जा वाली जमीन जिसे सिङ्गुल
'ख' में वर्णित है प्रतिवादी नं० ३ से ८ के पूर्वज मोहन साह से 1928 में
जमीन खरीद है। जो विवाद का विषय वस्तु नहीं है। वादी के पूर्वज को
7 कट्ठा 10 धुरकी एवं 10 कट्ठा जमीन मोहन साह से 1928 में
खरीदा है, पहले केबाला मोहन साह किया, जिसमें पश्चिम सुरति
मासोमात दिया है। 1928 में ही उसी दिन सुरति मसोमात से वादी की
नानी ने जमीन खरीदी जो 10 कट्ठा है। इसी 10 कट्ठा जमीन जो
मोहन गुप्ता से पश्चिम है जिसे नवाव साहब ने सङ्क सीधा करने के
लिए मो० सुरति वाला खरीद जमीन में करीब 2 कट्ठा जमीन में सङ्क
बन गया। सुरति वाली 10 कट्ठा जमीन में बने सङ्क ने जमीन को
पूरब एवं पश्चिम भाग में बांट दिया। यही पश्चिम वाला भाग 03 कट्ठा
जमीन मोकदमा हाजा का विषयवस्तु है जिसे सिङ्गुल "ग" में दिखाया
गया है जो सिङ्गुल "क" का अंश है।

यह भी कथन है कि प्रतिवादी नं०—१ एवं २ के ससुर ने
इसी मोकदमा हाजा वाली जमीन को पहले नन्दकेश्वर शर्मा से
लिखाया प्रस्तुत वाद में श्री उपेन्द्र प्रसाद सेवा अवकाश शिक्षक है जो
प्रतिवादी नं०१ एवं २ के खास ससुर है, खुद के नाम जमीन खरीदा
पुनः उसी जमीन को दिगर लोगों से केबाला अपने पोतोंहूँ पतिवादी नं०१

एवं 2 के नाम कराया जबकि धारा 144 दं0 प्र0 सं0 का मामला लूबित के दौरान जमीन केवाला कराया गया है। धारा 144 दं0 प्र0 सं0 का कोई आदेश 60 दिन के बीत जाने पर प्रभावहीन हो जाता है।

यह भी कथन है कि प्रतिवादी नं01 एवं 2 प्रतिवादी 3 से 8 से जमीन खरीदा है इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी नं01 एवं 2 के पतिगण मिलकर प्रतिवादी नं09 एवं 10 तथा दिगर के हाथ जमीन का कागजात बनाकर उलझन खड़ा करना चाहता है इसलिए उन्हें भी पक्षकार बनाया गया है। मामला भूमि विवाद का है जिसमें वादी इस न्यायालय से प्रतिवादी नं01 एवं 2 के द्वारा केवाला नं0 908 दिनांक 28.02.11 को खरीदा गया है उसी वजह से यह नालीस किया जाता है।

वादी का यह भी कथन है कि उन्हें जमीन अपने मां से मिला उनकी मां को जमीन अपनी माँ से यानि नानी से मिला। वादी की माँ के नाम जमीन का जमाबंदी दर्ज है जिसका रसीद कटता है। जमाबंदी नं0 1190 है। वादी के पिता के गुजर जाने पर वादी की माँ ने दूसरी शादी की जिन्हें कोई संतान नहीं हुआ वो बिना संतान के फौत कर गये।

वादी का यह भी कथन है कि जमीन पश्चिम है जो केवाला मोहनलाल साह का बोलता है जो प्रतिवादीगण से संबंधित है फिर किस प्रकार प्रतिवादी वादी का 03 कट्ठा जमीन पश्चिम तरफ से हड्डपना चाहता है जिसका प्रयास दिनांक 22.01.11 को किया, जिसके विरुद्ध धारा 144 दं0 प्र0 सं0 की चली उसमें प्रतिवादी नं0 3,7, एवं 5 के पक्ष में फैसला गया जिस फैसला के विरुद्ध की0 री0 नं0 40/11 विद्वान सत्र न्या0 में लंबित है।

वादी का यह भी कथन है कि 01.11.0.0. (एक बीधा ग्यारह कट्ठा) जमीन किसी भी सुरत पर प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं था न उनकी खतियानी थी बल्कि बन्दोबस्ती से थोड़ा -2 जो जितना अलग अलग खरीदे उतने पर दखलकार हुए वो जरूरत पड़ने पर बिक्री कर दिए। इसलिए खतियानी कुल रकबा को बटवारा कर व हिस्सा बराबर गंगा साह वो मोहन साह वा कल्टू साह में होने की बात गलत है। प्रतिवादी गण का कोई सराकार उक्त उक्त सिड्डुल की जमीन में नहीं है बल्कि प्रतिवादी नं0 3 से 8 के पूर्वज को जमीन जो भी प्राप्त था वह बिक्री कर दिया उन्हें इस खेसरा में बिक्री के बाद एक इंच जमीन नहीं बचा, जिसका प्रमाण स्वयं प्रतिवादी गण नं0 3 से 8 के पूर्वज द्वारा किया गया केवाला साक्ष्य के रूप में है लिस्ट सबूत के साथ दाखिल किया गया है। सिड्डुल 'ख' की नानी ने निबंधित केवाला संख्या 4499 दिनांक 22 सितम्बर 1928 में मोहनलाल साह प्रतिवादी नं0 3,4,5,6,7,8 के पूर्वज से खरीदी है जिस पर वादी दखलकार है। दखलकार के आधार पर वादी के नाम खतियान इन्द्राज है। प्रतिवादीगण सिड्डुल 'ग' की जमीन से वादी को किसी भी समय हटाने के लिए कानून को हाथ में लेने पर उतारू है जिसके लिए उक्त जमीन की खरीद बिक्री नहीं करने, कोई संरचना नहीं करने हेतु प्रतिवादी नं01 एवं 2 पर अन्तरिम निषेधाज्ञा लगाने हेतु वाद भूमि सुधार उप समाहत्ता, सिमसरीबिज्ञियारपुर के न्यायालय में वाद दायर किया गया था।

प्रतिवादी प्रथम पक्ष संख्या 1 एवं 2 द्वारा लिखित जबाब के साथ दाखिल की गई। शेष प्रतिवादीगण 3,4,5,6,7 एवं 8 प्रतिवादी प्रथम पक्ष 1 एवं 2 के बिक्रेता हैं। लिखित जबाब में प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष का कथन है कि सिड्डुल "क" एवं "ख" की जमीन से कोई संबंध संरोकार नहीं बताते हुए मात्र सिड्डुल "ग" में वर्णित भूमि को

निर्वाचित दस्तावेज संख्या 908 दिनांक 28.02.11 से खरीदगी बताया है, तदनुसार खाता पुराना 348 खाता नया 224 खेसरा पुराना 3963 खेसरा नया 6244 रकबा 8 डिसमल जिसका चौहदी - उत्तर: सोलिंग सड़क दक्षिण: उपेन्द्र नाम प्रसाद, पुरब: पक्की सड़क, पश्चिम: केशरे हिन्द सड़क है पर प्रतिवादी नं01 एवं 2 का केवाला खरीदगी तिथि से अद्यतन दखलकार है। यह भी कथन है कि वाद खरीदगी केवाला के जमावन्दी नं0 5089 नाम से पिंकी कुमारी सिंह कायम करवा कर अद्यतन मालगुजारी रसीद वर्ष 2011-12 प्राप्त है एवं इट की चहारदिवारी से प्रश्नगत विवादी भूमि घिरा हुआ है। जिसपर प्रतिवादी नं0 1 एवं 2 दखलकार हैं।

निम्न न्यायालय में पारित आदेश में कहा गया है कि मूल रूप से विवादी भूमि सिड्हूल "ग" की वर्णित भूमि मौजा - बर्खियारपुर थाना नं0 64 अंचल: सिमरीबर्खियारपुर, थाना: बर्खियारपुर, जिला: सहरसा के अन्तर्गत खाता 348 पुराना नया 224 खेसरा पु0 3963 नया 6244 रकबा 3 कट्ठा जिसका चौहदी - उत्तर: सड़क सोलिंग, दक्षिण: 3959 खेसरा पुराना, पूरब: पक्की सड़क, पश्चिम: केशरे हिन्द। प्रश्नगत भूमि है जिसे प्रतिवादी प्रथम पक्ष नं0: 1 एवं 2 द्वारा भी बताया गया है, लंकिन रकबा में भिन्नता है। वादी द्वारा तीन कट्ठा रकबा बताया गया है, जबकि प्रतिवादी प्रथम पक्ष संख्या 1 एवं 2 के द्वारा 1 कट्ठा 17 धूर रकबा बताया गया है। वादी द्वारा वर्णित चौहदी में पुराना खेसरा 3959 का उल्लेख वाद पत्र में किया गया है। इसके विपरीत उक्त चौहदी में ऐती भूमि होने की बात को उभय पक्ष द्वारा स्वीकार की गयी है। बाकी सभी तीन ओर से चौहदी की समानता वादी के रकबा को प्रमाणित करता है।

वादी के दाखिल दो केवाला वर्ष 1928 जो विवादी खेसरा पुराना 3963 का मूल आधार है का कायम जमावन्दी नं0 1190 का कुल जमा रकबा 1-8-5-10 से संबंधित है के आधार पर वादी के केवाला खरीदगी वर्ष 1928 ई0 की भूमि का औचित्य प्रमाणित नहीं होता है। न्यायालय का मत है कि विवादी खेसरा पुराना 3963 नया खेसरा 6244 का रकबा 3 कट्ठा भूमि जिसका उल्लेख सिड्हूल "ग" में किया गया है पर वादी का दावा प्रमाणित नहीं होता है। इसके विपरीत केवाला नं0 908 दिनांक 28.02.11 से संदर्भ प्रश्नगत विवादी भूमि खेसरा 3963 पुराना नया 6244 रकबा 1 क0 17 धूर अर्थात 08 डी0 भूमि पर पक्की इट की चहारदिवारी से घेराबन्दी रहने के कारण दखल कब्जा की पुष्टि परिलक्षित होता है। वादी पक्षकार द्वारा कोई भी कागजी प्रमाण वर्ष 1928 ई0 की खरीदगी भूमि से कितनी जमीन सड़क के रूप में अर्जित की गई है, इसकी प्रमाणिकता का ठोस अभाव भी वादी के दाखिल अर्जी दावा पर प्रश्नवाचक चिन्ह उत्पन्न करता है। दाखिल अर्जी दावा में वादी द्वारा आशंकित बेदखली की आशंका से यह वाद दाखिल की गई है जबकि वादी की ओर से दाखिल कागजी प्रमाण से वादी का दावा प्रमाणित नहीं है।

कागजी प्रमाण, प्रमाण के आधार पर प्रश्नगत सिड्हूल "ग" की भूमि में प्रतिवादी नं0 1 एवं 2 का निर्विवाद हक एवं दखल मुताबिक खरीदगी केवाला के प्रमाणित है, जिस पर वादी पक्षकार को कुछ भी अधिकार एवं दखल नहीं है। वादी अपना अर्जी दावा सिद्ध करने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। अतः वादी का अर्जी दावा अस्वीकृत की जाती है।

निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 17.02.2012 को वाद दायर करते हुए कहा गया है कि आवेदक द्वारा टायटिल सूट नं 23/93 जिसमें उपेन्द्र गुप्ता एवं तिलकधारी साह के वारिसान को भी पक्षकार बनाया गया था में डिग्री आवेदक के पक्ष में हुआ है। अतएव दिनांक 23.01.12 को निम्नन्यायालय के भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 81/12 में पारित आदेश निरस्त योग्य है।

वादी/प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता का सुना। निम्नन्यायालय का अभिलेख तथा उभय पक्षों के लिखित बहस का अवलोकनोपरान्त यह तथ्य उभर कर सामने आया कि व्यवहार न्यायालय, सहरसा के अवर न्यायाधीश के इजलाश में दायर टायटिल सूट संख्या 23/93 में दिनांक 20.01.2013 को आदेश पारित किया गया है कि –

"The suit is decreed on contest with cost. The defendant number One is directed to hand over the possession of the disputed land to plaintiff within six months from the date of the judgment after removing his illegal constructions otherwise the plaintiff has to be the recourse to the law."

वर्णित स्थिति में अपीलार्थी उक्त वाद में पारित आदेश को कार्यान्वित कराने हेतु व्यवहार न्यायालय में execution Suit दायर कर सकते हैं। अपीलवाद की कारबाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

१२/२१>

(पंकज कुमार)

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा